जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 308 प्रभात अजमेर, बुधवार 8 जून, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

चीफ ऑफ डिफैन्स स्टाफ के चयन के दायरे में युवा अफसरों व वैज्ञानिकों को लाना चाहती है सरकार

पहले चयन के दायरे में थल सेना, वायु सेना व जल सेना के चीफ ही आते थे

- पर, अब यह महसूस किया जा रहा है कि, आधुनिक युद्ध केवल टैंक व बंदूक की लड़ाई ही नहीं, बल्कि अब लेज़र, ड्रोन व अन्य नवीनतम टैक्नोलॉजी पर आधारित नये-नये हथियारों का उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिये, यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की मदद व उपयोग से रूस के लगभग हजार टैंकों को नष्ट किया यूक्रेन ने।
- इसी प्रकार यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की सैटलाइट से संकलित इंटैलिजैंस से उपलब्ध जानकारी के उपयोग से यूक्रेन ने रूस के फ्लैगशिप को ब्लैक सी में चिन्हित करके, केवल दो मिसाइल्स के उपयोग से डूबो दिया था।
- ड्रोन, लेज़र, सैटलाइट आधारित इन्टैलिजैंस के उपयोग में युवा अफसरों को ज्यादा सिद्धहस्त माना जाता है। अतः चीफ ऑफ डिफैन्स स्टाफ के चयन का दायरा बढ़ाया गया है। चयन अब जल, थल व वायु सेनाध्यक्षों तक सीमित नहीं रखा जायेगा।
- पर, चयन प्रक्रिया व मापदण्ड में यह परिवर्तन करना आसान नहीं, क्योंकि, इससे सेना का सुसंगठित व सुनियोजित ''कमाण्ड स्ट्रक्चर'' बदलेगा और एक युवा ले. जनरल अपने पुराने बॉस सेनाध्यक्ष से वरिष्ठ बन सकता है, सी.डी.एस. का मुखिया बन कर।
- सेना के ''कमाण्ड स्ट्रक्चर'' से ऐसी छेड़छाड़ खतरे से खाली नहीं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) के चयन के मानदंडों के बारे में जारी की गई सरकार की नई गाइडलाइनों से पूरी तरह नये अवसरों के द्वार खुल गये हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, नई गाइडलाइनों ने इस पद के लिये उपयुक्त अधिकारी की तलाश के क्षेत्र को बढ़ाकर, तीनों सैन्य प्रमुखों से लेकर उनसे युवा उम्मीदवारों तक पहुँचा दिया है। इससे जटिल समस्या, अर्थात् प्रतिस्थापन (सुपरसैशन्स) या फिर वृहद क्षेत्र से चयन के दरवाजे खुल गये दिखाई दे रहे हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मात्र उच्च विशिष्टता युक्त सेवारत अधिकारी नहीं होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं स्वप्नदृष्टा तथा व्यापक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे की स्थितियों एवं संभावनाओं के बारे में सोचने वाला होता है। उसकी सोच सेना की तीनों शाखाओं- थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से किसी एक शाखा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये।

पिछले सी.डी.एस., जनरल विपिन रावत का निधन पिछले दिसम्बर में हुई एक दुखद हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। तब से किसी नये सी.डी.एस. की नियुक्ति नहीं हुई है। जनरल रावत अपने समय के एक बहुत ही उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी थे तथा बहुत आगे की सोच के लिये प्रसिद्ध थे।

चूँकि वर्तमान सैन्य प्रमुखों में से अभी तक कोई भी चयनित नहीं हुआ है, इसलिये इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि सरकार के विचार से कोई भी सैन्य प्रमुख इस पद के पूर्णतः अनुकूल नहीं था। अब चूँकि तलाश का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, तो इसके पीछे यह विचार होना संभावित है कि सैन्य प्रमुखों के अलावा भी कोई अधिकारी इस पद के लिये लिया जा सकता है।

इसका मतलब है कि अपेक्षाकृत युवा अधिकारी भी सी.डी.एस. बन सकेंगे। इस वर्तमान पद-क्रम निश्चित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो पांच दिन पहले कोविड-19 पॉज़िटिव आई थीं, नैशनल हैरल्ड केस में मनी लॉण्डरिंग के कथित आरोपों की पूछताछ हेतु संभवतः

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 5 दिन पहले कोविड पॉज़िटिव आईं सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के कारण ई. डी. के समक्ष नहीं उपस्थित हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने अगली तारीख मांगी है।

मस्कट में फंसा परिवार

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। मीना पांडे ने मीडिया को खुला पत्र लिखकर मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी उसे और उसके परिवार को बचाएं जो गत 5 माह से मस्कट में फंसा हुआ है और भारतीय दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 5 महीने से मस्कट में फंसे एक भारतीय परिवार ने मीडिया को खुला पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से जान बचाने की गुहार की है।

कांग्रेस को अकबर रोड स्थित ए.आई.सी.सी. का मुख्यालय खाली करना होगा

नगर विकास मंत्रालय, शीघ्र ही इस बंगले को खाली कराने के मकसद से कांग्रेस को नोटिस जारी करेगा

- जैसा कि विदित ही है, 44 साल से, 1969 से, जब से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस पार्टी इस बंगले को ए.आई.सी.सी. के मुख्यालय के रूप में काम में ले रही थी।
- 1969 में कांग्रेस के पुराने ''ओल्ड गार्ड्स'' ने कांग्रेस पार्टी के परम्परागत, 7, जंतर-मंतर, पर कब्जा कर लिया था तथा इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय, 24, अकबर रोड को बनाया था तथा मध्य रात्रि को डॉ. शंकर दयाल शर्मा एक ट्रक भर के पुराने कागजात इकट्ठे कर के, 24, अकबर रोड ले आये थे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। शहरी विकास मंत्रालय जल्दी ही कांग्रेस को यह नोटिस भेजेगा कि वह 24, अकबर रोड के उस सरकारी बँगले को खाली कर दे, जो पिछले 44 साल से अर्थात्, 1969 में हुये कांग्रेस के विभाजन के समय से ही कांग्रेस के पास है।

इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला गुट इस बँगले में आ गया था तथा डॉ. शंकर दयाल शर्मा पूर्ववर्ती पार्टी मुख्यालय, 7, जन्तर-मन्तर रोड, जो सरकार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट की सम्पत्ति थी, फाइलों को एक ट्रक में भरकर आधी रात के समय नये मुख्यालय में लाये थे। कांग्रेस के पुराने दिग्गज उसी भवन में बने रहे थे तथा उसके बाद, वह भवन कई पार्टियों का मुख्यालय बन चुका है, जिनमें जनता दल एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इसके सबसे बाद वाले किरायेदार हैं, की अध्यक्षता वाला जनता दल (यू.) भी शामिल है।

अकबर रोड का बँगला नं. 24 कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिये काफी सुविधाजनक था, क्योंकि वे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, इससे सटे हुये 10, जनपथ में ही रह रही थीं। वे एक से दूसरे भवन में जाने के लिये इन दोनों बँगलों के पीछे वाले दरवाजों को काम में लेती थीं। कांग्रेस ने अपने 'सेवा दल' के लिये इसके पड़ोस वाला 26 नम्बर बँगला भी ले लिया था, जिसे पार्टी को अभी हाल ही में खाली करना पड़ा था।

24, अकबर रोड, बँगला आन्ध्र प्रदेश के सांसद जी. वैंकटस्वामी का आवास था, जो उन्हें एक सांसद की हैसियत से आवंटित किया गया था। जनवरी 1978 में, इन सांसद, जो इंदिरा गांधी पक्के वफादार थे, के आग्रह पर कांग्रेस (इंदिरा) यहाँ आ गई थी।

सरकार कांग्रेस पर यह दबाव बना रही है कि वे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने अपने मुख्यालय में पहुँच जाये। ज्ञातव्य है कि इसी मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी तथा कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आई.) के मुख्यालय भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस तथा भाजपा को संबंधित जमीन आवंटित की गई थीं।

भाजपा अपने इस भव्य मुख्यालय में 2018 में ही पहुँच गई थी। कांग्रेस ने अपने मुख्यालय का भवन तो बनवा लिया है लेकिन वह भाजपा के दिग्गज नेता रहे दीनदयाल उपाध्याय के नाम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा चुनाव में कालाधन

जयपुर, 7 जून (कासं)। राज्यसभा चुनाव को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग और कालेधन के लेन-देन की खबरों के बीच पहले कांग्रेस ने एसीबी और निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी तो उसके पलटवार में भाजपा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मुख्य निवार्चन अधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग के पास मंगलवार को शिकायत लेकर पहुंची। भाजपा की ओर से प्रवर्तन निदेशालय को भेजे पत्र में कहा गया है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग व कालेधन के लेनदेन की आशंका है। इसे रोका जाना आवश्यक है। इसी तरह चुनाव आयोग से शिकायत में भी कहा गया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग, विधायकों को प्रताड़ित व प्रभावित करने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने चुनाव आयोग व ए.सी.बी. तथा भाजपा ने ई.डी. व चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई।

'91 के ''प्लेसेस ऑफ वर्शिप'' एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं दायर'

इन याचिकाओं में 91 के एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गयी है सुप्रीम कोर्ट में

- याचिकाओं का मूल तर्क है, इस विधेयक के जरिये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट व अन्य न्यायालयों के अधिकारों को सीमित कर दिया और ये अधिकार इन न्यायालयों को संविधान द्वारा प्रदत हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोवीज़न्स) एक्ट 1991 पर एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका सेवानिवृत्त लैफ्टिनैंट कर्नल अनिल काबोत्रा ने दायर की है जिसमें उक्त अधिनियम 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट को चुनौती दी गई है।

उन्होंने 1991 के अधिनियम के सैक्शन 2, 3, और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और दावा किया है कि ये प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हैं और पूजा स्थलों के परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं।

उक्त एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है जिनमें दिल्ली के भाजपा नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका भी शामिल जिस पर गत वर्ष मार्च में केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था।

गत सप्ताह एक मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए- हिंद ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उपाध्याय की लम्बित याचिका में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। जिसमें 1991 एक्ट के सैक्शन 2,3, और 4 को चुनौती दी गई थी। जमीयत की याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए है उन पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर चुकी है।

सैन्य अधिकारी की याचिका, जो एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई है, में कहा गया है कि, कानून में केन्द्र ने मनमाने तरीके से पूर्व व्यापी (रैट्रोस्पैक्टिव) ''कट ऑफ डेट'' दी है, इस कानून के अनुसार पूजा स्थलों का जो स्वरुप 15 अगस्त 1947 को था, उसे बरकरार रखा जाए और घुसपैठिए आक्रांताओं, कानून तोड़ने वाले द्वारा पूजा स्तलों पर कब्जा करने के विवाद पर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, और ऐसी प्रक्रिया में कमी आनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'औरंगज़ेब की सेना अकबर की सेना से काफी ज्यादा विशाल थी, पर फिर भी अकबर का शासन ज्यादा गौरवशाली व समृद्धिपूर्ण क्यों था?'

भारत में ब्रिटिश राज के, पहले मुस्लिम हाई कोर्ट जज सैय्यद महमूद ने इस प्रश्न का बहुत तार्किक व विवेकपूर्ण जवाब दिया है

- सैय्यद महमूद के अनुसार, औरंगज़ेब ने अपने प्रशासन को सैन्य बल व अनुशासन पर आधारित किया था, जबकि अकबर ने ''मिलजुल कर'', जनता को साथ लेकर गैर शत्रुतापूर्ण रवैया रखा अपने प्रशासन में और यह समृद्धि व वैभव का कारण था।
- सैय्यद महमूद, इंगलैण्ड से बार एट-लॉ करने के बाद, आई.सी.एस. में चयनित हुए तथा 1879 में डिस्ट्रिक्ट जज बने।
- उन्होंने अपने छः साल के हाई कोर्ट जज (इलाहाबाद) के कार्यकाल में प्राचीन हिन्दू व मुस्लिम कानून व फिलॉसफी का ब्रिटिश द्वारा पारित कानून के साथ सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास किया।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जून। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदोन्नत होने वाले भारत के प्रथम मुस्लिम एवं नॉर्थ इण्डिया के प्रथम जज जस्टिस सैयद महमूद की कई विशिष्ताएं थीं क्योंकि उनके विरोधी प्रकृति के निर्णय देने का माद्दा था। ये निर्णय बाद में दक्षिण एशिया महाद्वीप के लिए मार्गदर्शक बने और इन्हें पूरी दुनिया में उद्धृत किया जाता है।

आज की बढ़ती अहिष्णुता और धर्मान्धता के वातावरण में जस्टिस महमूद का जीवन चरित्र अपने आप में अलग ही है क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष झुकने के बजाए इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफा देने का विकल्प चुना।

ये तथा अन्य तथ्य दो सौ पृष्ठों की बायोग्राफी में बड़े शानदार ढंग से व्यक्त किए गए हैं। ''सैयद महमूद कोलोनियल इण्डियाज़ डिसैंटिंग जज'' नामक यह बायोग्राफी दो युवा विद्वानों मोहम्मद नासिर और समरीन अहमद ने लिखी है और हाल ही में इसका प्रकाशन किया गया है। सैयद महमूद एक धार्मिक और अन्तर धर्मावलम्बी व्यक्ति थे जिनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)